अपील सूचना अधिकार संख्या 37/2021 (GCMS 2021/58) (RTI 212929708479859) रामचन्द्र पुत्र लालराम ब्राह्मण, गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान, पिन कोड़ 335021 बनाम तहसीलदार एवं उपपंजीयक (उप तहसील, समेजाकोठी), रायसिंहनगर

22.11.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रामचन्द्र उपस्थित नही है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2021 से उप तहसीलदार एवं उप पंजीयक, समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए अपीलार्थी ने सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.04.2021 को पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.03.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. दस्तातेज बैयनामा प्रेम सिंह कुलहरी पुत्र श्री सदासुख जाति जाट निवासी खाटां तहसील रायसिंहनगर आधार नम्बर 905737796506 खाटां बरानी मुरब्बा नम्बर 89, प.न. 258/286 के किला नम्बर 4 ता 7 में कुल 1.012 है. व किला नं. 14 ता 17 में कुल 1.012 है. व किला 24, 25 में 0.506 हैक्टर कुल तादाद रकबा 2.530 है. कृषि भूमि का बेचाना की गई रजिस्ट्री की प्रमाणित सुदा नकल।
2. बिन्दु 1 बेचान की गई कृषि [illegible] ब्बा नम्बर 89 की दस बीघा भूमि का इन्तकाल श्री [illegible] पुत्र श्री रायसिंह भाखर जाति जाट निवासी 40 एसएसडब्ल्यू राम[illegible]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ दर्ज की प्रमाणित सुदा नकल श्रीमानजी उक्त सूचना आपके कार्यालय से संबंधित नहीं होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत संबंधित कार्यालय को भिजवाए व अपील अधिकारी का नाम, पता बताए। दिनांक 03.03.2021 आवेदन प्रोसेस फिस 10रू. पोस्टल ऑर्ड 52एफ/312335

उप तहसीलदार एवं उप पंजीयक, समेजा कोठी ने अपने पत्रांक सूकाअ/2005/2021/198 दिनांक 10.09.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई चक खाटा बारानी के मु.नं. 89 प.न. 258/286 के किला नं. 4 ता 7 में कुल 1.012 हैक्टर व किला नं. 14 ता 17 में कुल 1.012 हैक्टर व कि.न. 24, 25 में 0.506 हैक्टर कुल रकबा 2.530 हैक्टर कृषि भूमि बेचान की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रतिलिपि। उक्त बेचाना की रजिस्ट्रकी की प्रमाणित प्रतिलिपि आप अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय से निर्धारित नकल प्रार्थना पत्र में दस्तावेज की पंजीयन संख्या व दिनांक अंकित कर नियमुनसार फीस 100 रूपये साधारण नकल, 200 रूपये आवश्यक एवं 100 रूपये [illegible] शुल्क ई–ग्रास द्वारा जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:18 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
उप [illegible]सीलदार एवं उप पंजीयक
समेजा कोठी

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब उप तहसीलदार एवं उप पंजीयक, समेजा कोठी द्वारा उक्तानुसार दिनांक 10.09.2021 को दिया जा चुका है और उप पंजीयक, समेजा कोठी ने अपने पत्रांक 20.09.2021 के साथ अपीलार्थी रामचन्द्र द्वारा निःशुल्क सूचना प्राप्त करने का प्रमाण पत्र पेश किया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी को सूचना प्राप्त हो गई है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए अपीालार्थी की अपील निष्प्रभावी होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उप पंजीयक, समेजा कोठी को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:18 IST
Reason: SelfAttested